न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 25/2017/अपील/एल.आर.एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांकः 28.3.2017
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1 जोगेन्द्र कौर पुत्री मस्तान सिंह पत्नी गुरूचरण सिंह जाति जट सिक्ख निवासी ग्राम गणपतपुरा तहसील एवं जिला बूंदी।

...अपीलाट

बनाम

1 बाजसिंह आत्मज मस्तान सिंह
2 चन्दन सिंह आत्मज मस्तान सिंह
3 गुरूदयाल सिंह आत्मज मस्तान सिंह
4 गुरूबचन सिंह आत्मज मस्तान सिंह
जाति जट सिक्ख निवासीगण ग्राम रामगंज तहसील एंव जिला बूंदी
5 रेशम कौम पत्नी मस्तान सिंह जाति जट सिक्ख निवासीगण ग्राम रामगंज
6 सुरेन्द्र कौर पुत्री मस्तान सिंह पत्नी अवतार सिंह जाति जट सिक्ख निवासी परबतवाडा तहसील कराल जिला श्योपुर मध्य प्रदेश ।
7 राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार बूंदी।

... रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक 31.7.2018

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर (सीलिंग) बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा मिसल सं0 67/अपील/15 बउनवान जोगेन्द्र कौर बनाम बाज सिंह वगेरा में पारित निर्णय दिनांक 26.12.2016 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश की गई।

1 संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि तहसीलदार बूंदी द्वारा खातेदार मस्तान सिंह के फौत होने उपरांत खातेदार की कृषि भूमि 21 बीघा 17 बिस्वा वाकै ग्राम रामगंज का विधिक वारिसान को बिना कोई सूचना दिये तथा बिना वैधानिक प्रक्रिया अपनाये अनुचित प्रकार से वसीयत के आधार पर तस्दीक किये गये नामानतरकरण संख्या 771 दिनांक 11.2.2015 से व्यथित होकर प्रथम अपीलीय न्यायालय मे अपील पेश कर निवेदन किया कि नामान्तरकरण सं0 771 को निरस्त कर सभी हितबद्ध पक्षकारो को सुनवाई का अवसर देकर वैधानिक प्रकिया पूर्ण किये जाने के पश्चात पारित किया जावे। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने नामा0 रजिस्टर्ड वसीयत के आधार वसीयतग्रहिताओं के पक्ष मे तस्दीक किये जाने से नामान्तरकरण मे हस्तक्षेप का कोई ठोस आधार प्रतीत नही होने से अपील अपीलांट सारहीन होने से निर्णय दिनांक 26.12.2016 से

खारिज की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय के साथ पेश की गई कि हर दो अधीनस्थ न्यायालयों का आदेश विधि एवं न्याय संचिका मे सिद्धी प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान नही किया। इस तथ्य पर भी ध्यान नही दिया कि उक्त आराजी अपीलांट के पिता मस्तानसिंह के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की है जिनका स्वर्गवास दिनांक 12.1.2015 को हो गया है तहसीलदार बूंदी ने मस्तान सिंह के विधिक वारिसान को बिना कोई नोटिस व सूचना दिये इंतकाल तस्दीक कर त्रुटि की है। अपीलांटा के पिता ने रेस्पोडेन्ट के पक्ष मे दिनांक 11.4.2014 को कोई वसीयत आलेखित नही की कारण की अपीलांटा के पिता को वर्णित आराजी की वसीयत करने का कानूनी रूप से अधिकार प्राप्त नही था। पक्षकारान हिन्दू विधि से शासित होने से अपीलांटा प्रथम श्रेणी की मृतक पिता की सम्पत्ति को प्राप्त करने की अधिकारिणी है उक्त तथ्यो पर ध्यान दिये बिना प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील खारिज करने मे त्रुटि की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील खारिज करने मे सहमति पत्र दिनांक 6.4.15 को आधार माना है जो त्रुटिपूर्ण है क्योंकि उक्त त्रुटिपूर्ण सहमति पत्र बाद इन्तकाल तस्दीक का है जिसकी कोई कानूनी अहमियत नही है। तहसीलदार ने भू राजस्व अधिनियम की धारा 132 से 135 की पालना किये बिना इन्तकाल तस्दीक किया जो त्रुटिपूर्ण अवैधानिक है। वसीयत की जांच गवाहो से नही गई और ना ही उनके बयान रिकार्ड किये गये वसीयत भी रिकार्ड पर मौजूद नही है फिर भी बिना वसीयत को देखे, जांच किये इंतकाल तस्दीक करने का आदेश प्रदान कर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नही दिया कि अपीलांटा व रेस्पो0 कम 1 व 6 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बूंदी मे घोषणा खातेदारी का वाद प्रस्तुत किया जिसमे अपीलांटा के वकील श्री महावीर मेघवाल रहे है जिनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 2 लगायत 6 की ओर से पैरवी की है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बूंदी मे अपीलांटा को बिना सूचना व जानकारी के प्रस्तुत वाद को दिनांक 24.4.15 को विड्रो करा लिया। विड्रो प्रार्थना पत्र पर अपीलांटा के कोई हस्ताक्षर नही है। उक्त तथ्यो को आधार मानकर अपील खारिज करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर हरदो आदेश/निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण में बहस अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि खातेदार मस्तान सिंह के फौत होने उपरांत कृषि भूमि का नामा0 सं0 771 विधिक वारिसान को बिना कोई सूचना दिये तथा बिना वैधानिक प्रक्रिया अपनाये अनुचित प्रकार से वसीयत के आधार पर तस्दीक कर परीक्षण न्यायालय ने त्रुटि की है क्योकि वसीयत फर्जी है। अपीलांटा के पिता ने रेस्पोडेन्ट के पक्ष मे दिनांक 11.4. 2014 को कोई वसीयत आलेखित नही की कारण की अपीलांटा के पिता को वर्णित आराजी की वसीयत करने का कानूनी रूप से अधिकार प्राप्त नही था। पक्षकारान हिन्दू विधि से शासित होने से अपीलांटा प्रथम श्रेणी की मृतक पिता की सम्पत्ति को प्राप्त करने की अधिकारिणी है उक्त तथ्यो पर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नही दिया। अपीलांटा व रेस्पो0 कम 1 व 6 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बूंदी मे घोषणा खातेदारी का वाद प्रस्तुत किया जिसमे अपीलांटा के वकील श्री महावीर मेघवाल रहे है जिनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 2 लगायत 6 की ओर से पैरवी की है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बूंदी मे अपीलांटा को बिना सूचना व जानकारी के प्रस्तुत वाद को दिनांक 24.4.15 को विड्रो करा लिया। विड्रो प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर हस्ताक्षर नही है। उक्त तथ्यो को आधार मानकर अपील खारिज करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार कर आदेश हरदो अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किया जावे।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 कम–2 ता 5 व 6 ने बहस मे बताया कि तहसीलदार बूंदी द्वारा खातेदार द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर वसीयतग्रहिताओं के नाम विवादित आराजी का नामान्तरकरण सं0

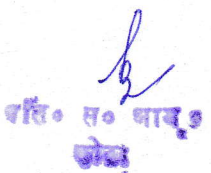

771 तस्दीक किया है। विवादित आराजी मस्तानसिंह की स्वअर्जित थी ऐसी स्थिति मे उसको वसीयत करने का कानूनन अधिकार प्राप्त था। रेस्पो0 क्रम–1 व 6 ने सहमति पत्र दिये है ऐसी स्थिति मे अपीलांटा द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन है। बहस मे आगे बताया कि वर्तमान मे भूमि अंकुर अग्रवाल को बेच दी है उनको अपील मे पार्टी नही बनाया गया है। अतः उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात/आधार अभिलेख का आध्योपातं अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि मस्तानसिंह द्वारा विवादित आराजी किता 10 रकबा 21 बीघा 17 बिस्वा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.5.1968 से खातेदार रामनाथ आ0 लक्ष्मण जाति राजपूत निवासी बूंदी से क्रय की है। खातेदार मस्तानसिंह को स्वअर्जित उक्त कृषि भूमि मे समस्त हक अधिकार निहित होने से उसने अपने जीवनकाल मे ही दिनांक 11.4.14 को 2 गवाहों के समक्ष अपना वसीयतनामा निष्पादित व पंजीबद्ध करवाया जिसके अनुसार आराजी ख0 सं0 628/347 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा अपने एक पुत्र बाज सिंह को वसीयत की तथा शेष बची हुई कृषि भूमि 18 बीघा 13 बिस्वा को तीनो पुत्रो चन्दन सिंह, गुरूदयाल सिंह, गुरूबचनसिंह को वसीयत की गई। इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त आराजी की वसीयत करने का खातेदार को अधिकार था। खातेदार मस्तानसिंह का दिनांक 12.1.2015 को देहान्त हो जाने के बाद उक्त रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर वसीयतग्रहिता रेस्पो0 2 लगायत 4 के पक्ष मे उक्त वर्णित कृषि भूमि का नामान्तरकरण सं0 771 दिनांक 11.2.2015 तस्दीक किया गया जो विधिसम्मत होना प्रकट होता है। जहॉ तक सहमति पत्र दिनांक 6.4.2015 इन्तकाल तस्दीक के बाद का होने से त्रुटिपूर्ण होना व कानूनन उसकी कोई अहमियत नही होने एंव न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बूंदी मे प्रस्तुत वाद को दिनांक 24.4.15 को बिना अपीलांटा को सूचना दिये विड्रो करा लेने तथा विड्रो प्रार्थना पत्र पर उसके हस्ताक्षर नही होने का का अपीलांट का प्रश्न है तो स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा सहमति पत्र मे उक्त वसीयत को सही होना शपथ पूर्वक स्वीकार किया है तथा उक्त वाद पक्षकारान के मध्य राजीनामा के आधार पर विड्रो किया गया है ऐसी स्थिति मे अपीलांटा द्वारा अपने स्वयं के वचनो से विपरीत जाकर बिना किसी आधार के उक्त कथन किया गया है जो समुचित आधार अभिलेख के अभाव मे स्वीकार्य नही है। अपीलांटा को उक्त वर्णित वसीयत व वाद विड्रो किये जाने से किसी प्रकार की आपत्ति है तो उसको सक्षम न्यायालय मे चुनोती देने के लिये वह स्वतंत्र है। चूंकि प्रश्नगत नामान्तरकरण रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर वसीयतगृहितों के पक्ष मे तस्दीक किया गया है ऐसी स्थिति मे नामान्तरकरण मे हस्तक्षेप का काई ठोस आधार प्रतीत नही होने से प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निर्णय दिनांक 26.12.2016 से खारिज की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से किस प्रकार के हस्तक्षेप की गुजाइंश नही है लिहाजा उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

6 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

7 निर्णय आज दिनांक 31.7.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा